ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
प्रो. (डॉ.) जसपाल एस. सन्धू
सचिव
Prof. Dr. Jaspal S. Sandhu
MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAFSM, FFIMS, FAMS
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23239337, 23236288,
Fax : 011-23238858, email : jssandhu.ugc@nic.in

PUBLIC NOTICE – JODHPUR NATIONAL UNIVERSITY, JODHPUR, RAJASTHAN

F. No. 9-5/2009(CPP-I/PU) **Dated August, 2015**

The Chief Secretary (Higher Education), Government of Rajasthan has issued an order vide No. P.3(5)Education-4/2006 Part dated 07.07.2015 (copy attached) stating that a case has been registered by Special Operation Group-Police, Jaipur, regarding fake degree scam in Jodhpur National University, Jodhpur, Rajasthan. The Government of Rajasthan had constituted an Expert Committee to inquire into the issue. Based on the recommendations of the Expert Committee, the Government of Rajasthan has banned admission in Jodhpur National University for the academic year 2015-16.

The students are hereby cautioned through this public notice not to take admission in Jodhpur National University, Jodhpur, Rajasthan and/or any of its centres/ campuses/ distance education programmes.

Prof. (Dr.) Jaspal S. Sandhu)
Secretary

SNCC 524 (FR)

E-27822
21/7/15

1383 (CPP-I/PU)
27-7-2015

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
17 JUL 2015

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

IMPORTANT

क्रमांकः प. 3 (5) शिक्षा–4 / 2006 पार्ट   जयपुर, दिनांकः 03 .07.2015

आदेश

एस.ओ.जी. थाना, जयपुर द्वारा जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर में फर्जी डिग्रियां बेचे जाने का प्रकरण उजागर किये जाने के फलस्वरूप प्रकरण की जांच हेतु विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.2.2015 द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति ने माना है कि प्रथम दृष्टया जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर ने अपने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। समिति की राय है कि जब तक उक्त विश्वविद्यालय के विरूद्ध जांच प्रक्रियाधीन है, शैक्षणिक सत्र 2015–16 हेतु उक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई जानी चाहिये जिससे नये विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने की संभावना न रहे।

अतः समिति द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर में शैक्षणिक सत्र 2015–16 के लिये विद्यार्थियों के प्रवेश पर तंत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।

24/7/15

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव, उच्चशिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल महोदय, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
6. आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इसे वैबसाईट पर प्रदर्शित करवाने का श्रम करें।
7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
8. सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 7वीं मंजिल, चन्दलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली–110001

US (CPP-I)
SO (CPP-I)
24/7/15

---2

Ms. Rakhee
24/07/15

– 2

1538

9. सचिव, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाईंड काउन्सिल्स बिल्डिंग, कोटला रोड़, एवान–ए–गालिब मार्ग, नई दिल्ली–110002
10. सचिव, मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, पॉकेट–14, सेक्टर–8, द्वारिका फेज–1, नई दिल्ली–110077
11. सचिव, डेन्टल कौंसिल ऑफ इंडिया, एवान–ए–गालिब मार्ग, कोटला रोड़, टेम्पल लेन, नई दिल्ली 110002
12. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इंडिया, 21, रोज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, बाल भवन के पास, नई दिल्ली–110002
13. सदस्य सचिव, नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्यूकेशन, हंस भवन, विंग–II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
14. जिला कलक्टर, जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि विद्यार्थियों/अभिभावकों की जानकारी हेतु इसका समुचित प्रचार–प्रसार करवाने का श्रम करें।
15. प्रेसिडेण्ट/कुलसचिव, जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नारनाड़ी, झंवर रोड, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की पालना सुनिश्चित कर राज्य सरकार को अवगत करावें।
16. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इसे सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।

03.07.15

शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा